

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — कैलास साहुबगैरह ।

बनाम

वाद सं० 49 / 2022

द्वितीय पक्ष — हिरामन साहु बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
20/05/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 32/2022 दिनांक 28/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) कैलास साहु उम्र 40 वर्ष पिता बिरसा साहु (2) भाकड़े साहु उम्र 56 वर्ष पिता स्व० सोमरा साहु (3) संतक साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व० सोमरा साहु (4) संजय साहु उम्र 35 वर्ष पिता संतक साहु (5) राजू साहु उम्र 45 वर्ष पिता भाकड़ं साहु (6) असारू साहु उम्र 40 वर्ष पिता बिरसु साहु (7) सुरेश साहु उम्र 30 वर्ष पिता बिरसु साहु (8) शंकर साहु उम्र 35 वर्ष पिता बिरसु साहु (9) छोटेलाल साहु उम्र 45 वर्ष पिता बिरसु साहु (10) किसुन साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व० मोको साहु (11) सुनिल साहु उम्र 26 वर्ष पिता किसुन साहु (12) बालमोहन साहु उम्र 50 वर्ष पिता स्व० मोको साहु सभी ग्राम गुड़मा थाना पालकोट जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) हिरामन साहु उम्र 50 वर्ष पिता नितु साहु (2) जतरू भोक्ता उम्र 55 वर्ष पिता स्व० बुधु भोक्ता (3) बुधु साव उम्र 59 वर्ष पिता स्व० चैतु साहु (4) कोंदा साहु उम्र 30 वर्ष पिता बुधु साव (5) मड़वाडी साव उम्र 50 वर्ष पिता बुधु साव (6) मदन साहु उम्र 40 वर्ष पिता नितु साहु (7) दिनेश साहु उम्र 35 वर्ष पिता स्व० नितु साहु उम्र 40 वर्ष पिता बुधु साहु (8) शेठ साहु उम्र 40 वर्ष पिता बुधु साहु (9) भंजन साहु उम्र 35 वर्ष पिता नितु साहु सभी ग्राम गुड़मा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	